क.

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनाम

ओरिसा और ओ. आर. एस. का राज्य। (2004 की सिविल अपील संख्या 2348) 04 नवंबर, 2022

[उदय उमेश ललित**,** सी**.** जे**.** आई**.,** एस**.** रवींद्र भाट और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999-उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1950-भारत का संविधान-सूची II का अनुच्छेद 243Q, अनुसूची 7 वीं प्रविष्टि 52-चाहे किसी औद्योगिक क्षेत्र या क्षेत्रों को राज्य कानूनों के तहत नगरपालिका परिषदों या नगर पालिकाओं की सीमाओं से वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके या अनुच्छेद 243Q के प्रावधान के तहत घोषणा के आधार पर बाहर करना, जिसके परिणामस्वरूप वह क्षेत्र सूची II की प्रविष्टि 52 के भीतर एक "स्थानीय क्षेत्र" नहीं रह जाएगा और इसके परिणामस्वरूप राज्य को उन क्षेत्रों से प्रवेश कर लगाने और एकत्र करने से रोक दिया जाएगा-आयोजितःऔद्योगिक क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति राज्य या राज्यपाल द्वारा नगरपालिका कानूनों या अनुच्छेद 243 क्यू (1) के प्रावधान के तहत छूट जारी करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं-हालांकि, ये किसी भी तरह से इस तथ्य को प्रभावित या कमजोर नहीं करते हैं कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र या संपदा समान रूप से "स्थानीय क्षेत्र" हैं-डायमंड शुगर मिल्स ने स्वयं स्वीकार किया कि "स्थानीय" शब्द का अर्थ किसी स्थान से संबंधित या संबंधित है-सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक स्थानीय क्षेत्र वह है जिसे नगरपालिका कानून, जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड, संघ बोर्ड, पंचायत या राज्य के किसी भी हिस्से के स्थानीय मामलों के शासन के लिए सरकार द्वारा गठित किसी निकाय द्वारा प्रशासित किया जाता है-इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में राज्य कानूनों का अनुप्रयोग, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति के भीतर आता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

669 ए.

क्षेत्र या संपदा, उनके उपयोग के लिए गंतव्य के अंतिम बिंदु के रूप में-किसी भी मामले में, शुल्क आकर्षित किया जाएगा क्योंकि घटना स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश है।

विशेष अनुमति याचिका और अपीलों को खारिज करते हुए**,** न्यायालय ने कहाः

1.1 संविधान के भाग **IX-A** के प्रावधानों में नगर पालिकाओं के गठन**,** उनकी अवधि**,** नगरपालिकाओं के अधिकारियों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है।नगर पालिकाओं की कल्पना स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में की गई थी।उनका कार्यकाल या अवधि पाँच साल के लिए प्रदान की गई थी**;** नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नियमित चुनाव पर विचार किया गया था।भाग **IX-A** में निहित प्रावधानों द्वारा अनुध्यात नगर पालिकाओं की विशेष प्रकृति**,**

हालांकि कानून द्वारा बनाए गए अन्य निकायों जैसे बोर्डों आदि में मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक संपदाओं जैसे ऐसे वैधानिक निकाय कुछ नगरपालिका कार्य कर सकते हैं।हालाँकि, कुछ नगरपालिका कार्य ऐसे निकायों द्वारा किए जाते हैं जो वास्तव में नगरपालिकाओं की विशेषताओं को प्राप्त नहीं करते हैं जो संविधान के भाग **IX-A** द्वारा विचार किए गए हैं।**[**पैरा **43] [691-**एफ**-**एच**; 692-**ए**]**

ग

डी.

1.2 संविधान के **74** वें संशोधन द्वारा भाग **IX-A** की शुरूआत स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के इरादे से की गई थी कि वे न्यूनतम लोकतांत्रिक मानकों के अधीन हों।इसलिए, अनुच्छेद **243-**क्यू **(1)** के परंतुक को इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए कि कुछ कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में प्रशासित औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं, जहां कुछ नगरपालिका सेवाएं प्रदान की गई थीं, को संविधान के भाग **IX-A** में उल्लिखित आवश्यकताओं से छूट दी जा सकती है। ये प्रावधान लोकतांत्रिक शासन के तत्वों को स्पष्ट करते हैं, जैसे कि समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, चुनावों की नियमितता, स्थानीय सरकार की तीन-स्तरीय संरचना, आरक्षण, चुनाव विवादों को तय करने के लिए तंत्र और निर्वाचित निकाय जिन्हें विभिन्न प्रमुखों या विषयों के संबंध में निर्णय लेने का काम सौंपा गया था, जो गाँव, तालुक और जिला स्तर पर लोगों से संबंधित थे।**[**पैरा **44] [692-**बी**-**ई**]**

ई.

च

जी.

1.3 74 वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए संविधान के भाग **IX-A** के प्रावधानों का ध्यान स्थानीय स्व-ए पर था।

एच.

671

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. राज्य।

शासन और उससे संबंधित सभी प्रावधान।राज्य कराधान के मुद्दे पर इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी।इसके अलावा, राज्यपाल द्वारा नगरपालिका क्षेत्र, औद्योगिक संपदा या बड़े क्षेत्रों, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र थे, की सीमाओं से बाहर करने की शक्ति का प्रयोग इस शर्त पर किया जाता है कि ऐसे क्षेत्र न्यूनतम नगरपालिका सेवाएं प्रदान करते हैं।राज्य अधिनियमों का स्वरूप-जो इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को पढ़ने से सामने आता है, वह यह है कि प्रत्येक राज्य में नगरपालिका या स्थानीय स्वशासन कानूनों का एक समूह होता है, जैसे कि नगरपालिकाओं, छावनी, पंचायतों, ग्राम पंचायतों आदि से संबंधित और औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित-उदाहरण के लिए, यूपीआईएडी अधिनियम, गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, **1962** आदि।बाद के अधिनियमों में प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सेवाओं **(**नगर पालिकाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली नगरपालिका सेवाओं के अनुरूप**)** का निर्धारण किया गया है।इन परिस्थितियों को देखते हुए, औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में नगरपालिका कानूनों या ऐसे अधिनियमों के आवेदन से छूट-साथ ही अनुच्छेद **243-**क्यू **(1)** के परंतुक के आधार पर भाग-**9** ए के आवेदन से छूट कुछ आवश्यकताओं के आवेदन को बाहर करने के लिए है, जैसे कि चुनाव आदि। जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति का संबंध है, वे राज्य या राज्यपाल द्वारा नगरपालिका कानूनों या अनुच्छेद **243Q (1)** के प्रावधान के तहत छूट जारी करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं।हालाँकि, ये किसी भी तरह से इस तथ्य को प्रभावित या कमजोर नहीं करते हैं कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र या संपदा समान रूप से "स्थानीय क्षेत्र" हैं। डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड और ओआरएस बनामउत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **[1961] 3** एस**.** सी**.** आर**. 242.** ने स्वयं स्वीकार किया कि "स्थानीय" शब्द का अर्थ किसी स्थान से संबंधित या संबंधित है।इस न्यायालय ने यह भी बहुत प्रासंगिक रूप से अभिनिर्धारित किया कि स्थानीय क्षेत्र वह है जो नगरपालिका कानून, जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड, संघ बोर्ड, पंचायत या राज्य के किसी भी हिस्से के स्थानीय मामलों के शासन के लिए सरकार द्वारा गठित किसी व्यक्ति द्वारा प्रशासित होता है।इसलिए, औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में राज्य के कानूनों का अनुप्रयोग पूरी तरह से "राज्य के स्थानीय मामलों के उद्देश्यों के लिए गठित निकाय का विवरण" अभिव्यक्ति के भीतर आता है क्योंकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता है

कि औद्योगिक क्षेत्र भी राज्य का हिस्सा हैं।वर्तमान मामले में रिकॉर्ड इंगित करता है कि ओ. सी. एल. के मामले में नगरपालिका से बाहर रखे गए क्षेत्रों में कई गाँव शामिल हैं।सेल द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री भी स्वीकार करती है कि

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

672 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

क.

इसके औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम **24,000** घर हैं।इसी तरह हिंडाल्को और सेल के मामले में भी संकेत मिलता है कि औद्योगिक संपदा या क्षेत्र बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है।यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसे क्षेत्र "स्थानीय क्षेत्रों" **[**पैरा **45] [692-**ई**-**एच**; 693-**ए**-**ई**]** के विवरण में आते हैं।

1.4 लेवी का उद्देश्य, अर्थात, प्रवेश कर, उपभोग के लिए एक नियमित क्षेत्र में माल के प्रवेश का विनियमन है, अर्थात, निर्माण, उपयोग या बिक्री।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र या संपत्ति में माल का प्रवेश विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए या उनके अंतिम गंतव्य के रूप में उनके वितरण के उद्देश्यों के लिए है, यानी उस क्षेत्र के भीतर उनकी "खपत, उपयोग या बिक्री" के उद्देश्य से।यह भी हो सकता है कि माल औद्योगिक क्षेत्र या संपत्ति के भीतर प्रवेश करता है, उनके उपयोग के लिए अंतिम गंतव्य के रूप में।किसी भी मामले में, शुल्क आकर्षित किया जाएगा क्योंकि घटना स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश है।**[**पैरा **48] [694-**डी**-**ई**]**

ग

डी.

श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स बनाम बड़ौदा बरो नगर पालिका और अन्य। **[1970] 1** एससीआर **388;** डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड और एन. आर. बनामउत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. **(1961) 3** एस. सी. आर. **242;** कर्नाटक राज्य बनाम हंसा निगम **[1981] 1** एस. सी. आर. **823;** शक्तिकुमार एम. संचेती और अन्र। वी. राज्य

महाराष्ट्र और अन्य। (1995) 1 एससीसी 351:[1994] 6

ई.

पूरक।एस. सी. आर. **98;** सैज ग्राम पंचायत बनाम गुजरात राज्य और अन्य। **(1999) 2** एस. सी. सी. **366;** एम. जी. आर. इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड एन. आर. **V.** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **(2017) 3** एससीसी **494:[2017] 1** एससीआर **604;** किशनसिंह तोमर बनाम अहमदाबाद शहर का नगर निगम और अन्य। **(2006) 8**

च

एससीसी 352:[2006] 7 पूरक।एस. सी. आर. 454; नवीनचंद्र

मफतलाल बनाम आयकर आयुक्त **[1955] 1** एस. सी. आर. **829;** न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम आयकर आयुक्त **(2018) 9** एस. सी. सी. **351;** जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और ए. एन. आर. **V.** हरियाणा राज्य और अन्य। **(2006)**

7 एससीसी 241:[2006] 3 एस. सी. आर. 1095; भारत संघ बनाम आर. सी. जैन (1981) 2 एस. सी. सी. 308: [1981] 2 एससीआर 854; आईटीसी लिमिटेड बनाम।

जी.

कृषि उपज बाजार समिति **(2002) 9** एस**.** सी**.** सी**. 232:[2002] 1** एस**.** सी**.** आर**. 441;** हरियाणा आवास बोर्ड बनाम ए**.**

एच.

673

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. राज्य।

हरियाणा आवास बोर्ड कर्मचारी संघ **(1996) 1**

एससीसी **95:[1995] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 53-**संदर्भित।केस लॉ रेफरेन्स

[1970] 1 एससीआर **388**

संदर्भित किया गया है

पैरा **49**

[1961] 3 एससीआर **242**

संदर्भित किया गया है

पैरा **1**

[1981] 1 एससीआर **823**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

[1994] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 98** पैरा **32 [2017] 1** एस**.** सी**.** आर**. 604** पैरा **36 [2006] 7** सप्ली को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 454** पैरा **42 [1955] 1** एस**.** सी**.** आर**. 829** पैरा **47 [2006] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1095** पैरा **5 [1981] 2** एस**.** सी**.** आर**. 854** पैरा **11 [2002] 1** एस**.** सी**.** आर**. 441** पैरा **16 [1995] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।पैरा **11** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 53**

ग

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2004 की सिविल अपील सं. 2348।

ई.

1999 के ओ. जे. सी. 14424 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 28.02.2003 के निर्णय और आदेश से।

सह

2008 का एस. एल. पी. (सिविल) सं. 15179,2012 का सी. ए. सं. 4649-4650,2012 का सिविल अपील सं. 289।

च

एस. के. बगारिया, राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुनील कुमार जैन, पवनश्री अग्रवाल, कुमार अजीत सिंह, सुश्री राशिका स्वरूप, सुश्री कनिका कलायासरन, अजीत सिंह, जीशान रिज़वी, अनस जैदी, सैयद शाहिद हुसैन रिज़वी, सुश्री कीर्ति रेनू मिश्रा, सुश्री मोनिका द्विवेदी, आर्य त्रिपाठी, सुश्री अपूर्वा उपमान्यू, ब्रज किशोर मिश्रा, अभिषेक यादव, कन्हैया प्रियदर्शी, भक्ति वर्धन सिंह, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

जी.

एच.

674

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.**

1. चूँकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 52 के तहत होने वाली "स्थानीय क्षेत्र" की व्याख्या से संबंधित कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इस न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के निर्णय के लिए संदर्भित किया।संदर्भ आदेश ने डायमंड में पिछले संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान दिया

शुगर मिल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामउत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. 1 जहाँ

अदालत ने कहा कि एक "स्थानीय क्षेत्र" एक ऐसा क्षेत्र होगा जो एक स्थानीय निकाय जैसे कि नगरपालिका, एक जिला बोर्ड, एक स्थानीय बोर्ड, एक पंचायत या इसी तरह द्वारा प्रशासित किया जाता है और वह कारखाना परिसर उपरोक्त अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता है।न्यायालय ने संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम, 1992 पर भी ध्यान दिया, जिसमें नगर निकायों के गठन और प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 243-क्यू पेश किया गया था और कहा गया था कि इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों में जिन मुद्दों पर निर्णय की आवश्यकता है, उन पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।इसलिए, अपीलें इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं।

ग

डी.

2. संबंधित मुद्दों के उचित निर्धारण के लिए, पहले सूची II की प्रविष्टि 52 पर ध्यान देना आवश्यक होगा जो राज्य विधानमंडलों को प्रवेश कर लगाने के लिए अधिकृत करती हैः

“स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर।2

ई.

3. "स्थानीय क्षेत्र" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है; हालाँकि, अनुच्छेद 367 द्वारा, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रावधान, अनुच्छेद 372 के तहत किए गए अनुकूलन या संशोधनों के अधीन, संविधान की व्याख्या के लिए लागू होंगे।सामान्य खंड अधिनियम, 1897 अपने आप में एक स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं करता है, हालांकि, यह धारा 2 (31) द्वारा निम्नलिखित शब्दों में एक "स्थानीय प्राधिकरण" को परिभाषित करता हैः

च

"(31) "स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ होगा एक नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, बंदरगाह आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकरण जो कानूनी रूप से नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन का हकदार है, या सरकार द्वारा सौंपा गया है।"

जी.

1 (1961) 3 एससीआर 242

2 इस प्रविष्टि को संविधान (एक सौ एक) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा हटा दिया गया था।

एच.

675

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

4. उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999 (इसके बाद, "उड़ीसा अधिनियम") अधिनियमित किया, जिसमें स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है ताकि उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 1950 (इसके बाद "1950 अधिनियम") की धारा 4 के तहत गठित औद्योगिक टाउनशिप के भीतर के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक टाउनशिप को शामिल किया जा सके, जिससे ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाया जा सके।4 .1950 के अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि राज्य सरकार (ए) प्रत्येक "संक्रमणकालीन" क्षेत्र के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र परिषद; (बी) प्रत्येक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद; और (सी) प्रत्येक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम का गठन कर सकती है।तथापि, धारा 4 (1) के परंतुक से संकेत मिलता है कि ऐसी कोई परिषद या निगम नहीं हैः

"किसी शहरी क्षेत्र या उसके भाग में गठित किया जाएगा, जिसे राज्यपाल, उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जा रही या प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं के तहत क्षेत्र के आकार और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा एक औद्योगिक बस्ती के रूप में निर्दिष्ट करे।"

ग

डी.

5. इस न्यायालय के समक्ष दो अपीलकर्ताओं, मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद, "सेल") ने उड़ीसा अधिनियम विशेष रूप से प्रवेश कर के उद्ग्रहण पर आपत्ति जताई।सेल ने तर्क दिया कि प्रवेश कर लगाना संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है।यह निर्भर करता है कि

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और ए. एन. आर. में पांच न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। V. राज्य

हरियाणा और ओआरएस। 5 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि जब भी किसी कानून को अनुच्छेद 301 के उल्लंघन के रूप में आरोपित किया जाता है, तो न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से मात्रात्मक डेटा को इंगित करता है जिसके आधार पर प्रतिपूरक कर लगाए जाने की मांग की गई है।उच्च न्यायालय के समक्ष सेल की रिट याचिका का आधार यह था कि भारत में आयातित पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल और कारखानों या काम में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर प्रवेश कर लगाना असंवैधानिक था।उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले से सेल की रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उड़ीसा में प्रवेश

ई.

च

3 (च) "स्थानीय क्षेत्र" से किसी की सीमा के भीतर के क्षेत्र अभिप्रेत हैं -

(i) उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1950 (1950 का उड़ीसा अधिनियम 23) के तहत गठित नगरपालिका;

(ii) उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 (1965 का उड़ीसा अधिनियम 1) के तहत गठित ग्राम पंचायत;

जी.

(iii) अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, उस समय लागू किसी भी कानून में गठित या जारी रखा गया है, और इसमें उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 1950 (1950 का उड़ीसा अधिनियम 23) की धारा 4 के तहत गठित एक औद्योगिक बस्ती के भीतर का क्षेत्र शामिल है।

4 धारा 3 द्वारा, उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित वस्तुओं के प्रवेश पर शुल्क और कर का संग्रह लगाया गया था।

5 (2006) 7 एस. सी. सी. 241

एच.

कर ने किसी भी संवैधानिक निषेध का उल्लंघन नहीं किया और यह संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) के अनुरूप था।सेल ने 15.04.1995 दिनांकित अधिसूचना पर भरोसा किया जैसा कि 07.03.1996 और 17.11.2014 पर संशोधित किया गया है।इसने तर्क दिया कि इनका प्रभाव अपने औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रों को बाहर करना था, जो राउरकेला नगर पालिका का हिस्सा थे; परिणामस्वरूप, वे उड़ीसा अधिनियम के तहत एक "स्थानीय क्षेत्र" नहीं रह गए।

6. ओ. सी. एल. ने उस पर लगाए गए शुल्क को चुनौती देते हुए कहा कि दिनांक 1 की कुछ अधिसूचनाओं के आधार पर, उसके द्वारा स्थापित औद्योगिक टाउनशिप को राजगंगपुर नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं से बाहर रखा गया था, इसलिए, उसने तर्क दिया कि उड़ीसा अधिनियम में उस शब्द की परिभाषा के आधार पर अपने औद्योगिक टाउनशिप को स्थानीय क्षेत्र के रूप में शामिल करना असंवैधानिक था।ओ. सी. एल. ने तर्क दिया कि सेवाओं के प्रावधान और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के संबंध में नगर परिषद के साथ किए गए समझौते (इसके बाद "समझौते") 6 को ध्यान में रखते हुए, इसकी औद्योगिक बस्ती को स्थानीय क्षेत्र के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।इसने संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू पर भी भरोसा किया और तर्क दिया कि संसद या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अधिनियम को संशोधित संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 243-क्यू के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, जिसका उद्देश्य नगर पालिकाओं और नगरपालिका निकायों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के दायरे से बाहर करना था।इसलिए, प्रवेश कर का लगाया या लगाया जाना अमान्य था।ओ. सी. एल. और सेल, दोनों की रिट याचिकाओं को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।7

ग

डी.

ई.

7. इस बैच में हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (इसके बाद, "हिंडाल्को") द्वारा पसंद की जाने वाली दो अपीलें भी शामिल हैं।दोनों अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 23.12.2011 द्वारा दिए गए सामान्य फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसने उसके द्वारा आग्रह किए गए तर्कों को नकार दिया था [उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष ओ. सी. एल. और सेल द्वारा दिए गए तर्कों के समान]।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में अपने विस्तृत तर्क द्वारा न केवल उत्तर प्रदेश अधिनियमों के प्रावधानों पर ध्यान दिया, बल्कि स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा पर भी ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 जैसे अन्य संज्ञानात्मक कानूनों का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतें और

च

जी.

6 राजगंगपुर नगरपालिका और ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड, राजगंगपुर के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों आदि के हस्तांतरण के लिए समझौता दिनांक 26-03-1999 पर किया गया।

7 ओ. जे. सी. सं. 14424/1999 (जो सी. ए. सं. 2348/2004 की विषय वस्तु है) और डब्ल्यू. पी. 3019/2007 (जो एस. एल. पी. सं. 15179/2008 की विषय वस्तु है) में दिनांकित 18.02.2008 दो अलग-अलग निर्णयों द्वारा।

एच.

8 2012 की सिविल अपील संख्या 4649-50 और सिविल अपील संख्या 289/2012 ए

677

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

जिला पंचायत अधिनियम, 1961; संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (इसके बाद, "यूपीआईएडी अधिनियम")।

हिंडाल्को ने अपनी याचिकाओं में दिनांकित अधिसूचनाओं पर भरोसा किया था, जिसमें रेणुकूट सोनभद्र में अपने औद्योगिक क्षेत्र को यू. पी. आई. ए. डी. अधिनियम के तहत "औद्योगिक बस्ती" घोषित किया गया था।

8. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रवेश कर के प्रयोजनों के लिए स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा के भीतर औद्योगिक नगरों को शामिल करना किसी भी संवैधानिक सीमा से अधिक नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू का भी उल्लंघन नहीं करता है।

ग

पक्षकारों का प्रस्तुतिकरण (i) अपीलार्थियों की दलीलें

9. ओ. सी. एल. के विद्वान वकील श्री ब्रज के. मिश्रा ने तर्क दिया कि इसकी अधिसूचित औद्योगिक बस्ती में कोई चुंगी नहीं लगाई जा रही है या कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा है और इसलिए, यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 52 के तहत "स्थानीय क्षेत्र" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।नतीजतन, ऐसी औद्योगिक बस्ती में उपयोग, बिक्री या उपभोग के लिए माल के प्रवेश पर प्रवेश कर लगाने को राज्य विधानमंडल की अक्षमता के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

10. वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि डायमंड शुगर मिल्स (उपरोक्त) में घोषित सूची II (संविधान की सातवीं अनुसूची की) में प्रविष्टि 52 की व्याख्या संविधान के भाग IX-A के तहत अनुच्छेद 243-Q के लागू होने के बाद भी लागू होती है।उस प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य स्थानीय निकायों के कामकाज को मजबूत करना था क्योंकि वे स्वशासन की जीवंत इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने में असमर्थ थे।अनुच्छेद का परंतुक राज्यपाल को एक क्षेत्र औद्योगिक प्रतिष्ठान को बाहर करने की अनुमति देता है जिसमें एक औद्योगिक बस्ती स्थापित की जा सकती है और जिसमें ऐसे प्रतिष्ठान द्वारा कुछ नगरपालिका सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान को स्थानीय प्राधिकरण यानी स्थानीय स्वशासन जैसे नगरपालिका या नगर क्षेत्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र के बराबर नहीं माना जा सकता है।इसलिए, अनुच्छेद 243-क्यू के प्रावधान द्वारा इसके बहिष्करण का मतलब था कि इसे किसी भी राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत स्थानीय क्षेत्र के रूप में नहीं माना जा सकता था।इसलिए, कानूनी रूप से घोषित औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कवर किए गए ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर का उद्ग्रहण विफल होना पड़ा।

च

जी.

एच.

678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

11. ओ. सी. एल. के वकील ने भी संघ में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

भारत बनाम आर. सी. जैन 9 और हरियाणा आवास बोर्ड बनाम हरियाणा आवास बोर्ड कर्मचारी संघ 10 ने आग्रह किया कि ओ. सी. एल. ऐसा नहीं करता है।

नगरपालिका समितियों, जिला बोर्डों, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों जैसे 'स्थानीय प्राधिकरण' की विशेषताओं और विशेषताओं या किसी भी शक्ति या कार्यों को धारण करता है।इस प्रकार, इसकी 'औद्योगिक बस्ती' को संविधान की सातवीं अनुसूची में उपयोग की गई 'स्थानीय क्षेत्र' अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है।रिलायंस को डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) पर यह तर्क देने के लिए रखा गया था कि हालांकि 'स्थानीय क्षेत्र' शब्द की व्याख्या कारखाने परिसर के संबंध में दी गई थी, लेकिन व्याख्या केवल कारखाने परिसर के मामले तक सीमित नहीं होनी चाहिए।यह

डायमंड शुगर मिल्स (ऊपर) में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः“15. "स्थानीय" शब्द का व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ किसी स्थान से "संबंधित" या "संबंधित" है।सबसे पहले यह देखा जा सकता है कि प्रविष्टि 52 के उद्देश्य से पूरा राज्य एक "स्थानीय क्षेत्र" हो सकता है या नहीं, यह स्पष्ट है कि इस उद्देश्य के लिए "स्थानीय क्षेत्र" होने के लिए राज्य के भीतर एक क्षेत्र होना चाहिए।XXXXX

ग

डी.

XXXXX

XXXXX

28. इसलिए एक कारखाने का परिसर एक "स्थानीय क्षेत्र" नहीं है।

12. ओ. सी. एल. ने ओ. सी. एल. और नगर पालिका के बीच हुए समझौते पर भरोसा करते हुए कहा कि ओ. सी. एल. के परिसर को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किए जाने के बाद राजगंगपुर नगर क्षेत्र से बाहर रखा गया है।इसके अलावा, राज्य सरकार, राजगंगपुर नगर पालिका और ओ. सी. एल. के बीच 11 तारीख की चर्चा के कार्यवृत्त के खंड 5 में घोषणा की गई है कि ओ. सी. एल. द्वारा खरीदी गई वस्तुएं खरीद-फरोख्त के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार ओ. सी. एल. को चुंगी के भुगतान से छूट मिल जाने के बाद, राज्य सरकार उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर प्रवेश कर नहीं लगा सकती क्योंकि चुंगी शुल्क मूल रूप से प्रवेश कर का पूर्ववर्ती है।

ई.

च

13. सेल के वकील श्री एस. के. बागरिया ने इस आदेश पर भरोसा किया

डायमंड शुगर मिल्स (ऊपर) और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम आयकर आयुक्त पर भी निर्भरता रखी 12

जी.

(इसके बाद, "नोएडा") यह तर्क देते हुए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-क्यू एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के गठन पर विचार नहीं करता है।

9 (1981) 2 एस. सी. सी. 308

10 (1996) 1 एससीसी 95

11 सं. 249/रेस रेः ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड और राजगंगपुर नगर पालिका के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों आदि के निपटान के लिए समिति का गठन

एच.

12 (2018] 9 एससीसी 351 ए

679

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

एक नगरपालिका के रूप में और इस प्रकार केवल इसलिए कि ओ. सी. एल. अपने क्षेत्र में नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रहा था, यह नहीं कहा जा सकता है कि ओ. सी. एल. एक नगरपालिका है।न्यायालय ने नोएडा (ऊपर) में उल्लेख किया है किः

"31. ...नगरपालिका के गठन से छूट का मतलब यह नहीं है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान जो एक औद्योगिक बस्ती को नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रहा है, वह नगरपालिका के समान है जैसा कि अनुच्छेद 243 पी में परिभाषित किया गया है।

विद्वान वकील ने यह भी कहा कि ओ. सी. एल. को चुंगी के भुगतान से छूट इस बात को ध्यान में रखते हुए दी गई थी कि उसके द्वारा जमा की गई 2 करोड़ की राशि चुंगी के नुकसान को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी और नगरपालिका को भविष्य में राजस्व के संभावित नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया गया था।

ग

14. श्री बागरिया, विद्वान वरिष्ठ, ने यह आग्रह करने के लिए डायमंड शुगर मिल्स (उपरोक्त) पर भरोसा किया कि उस निर्णय में वर्णित 'स्थानीय क्षेत्र' शब्द का अर्थ वर्तमान मामले में लागू किया जाना चाहिए ताकि सेल के औद्योगिक क्षेत्र को सूची II की प्रविष्टि 52 के अर्थ के भीतर 'स्थानीय क्षेत्र' नहीं घोषित किया जा सके। यह आगे तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि सेल अपने औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र के भीतर नगरपालिका सेवाएं प्रदान करता है, अपने क्षेत्र को 'नगरपालिका' या 'स्थानीय प्राधिकरण' नहीं बनाता है।इसके अलावा, अनुच्छेद 243-डब्ल्यू 13 के तहत नगर पालिकाओं की कोई शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां राज्य सरकार द्वारा सेल को स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नहीं दी गई थीं और न ही सेल को किसी भी कर या शुल्क या टोल या शुल्क को लगाने, एकत्र करने और उपयुक्त बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बहिष्कार भी अनुच्छेद 243-क्यू के प्रावधान के आलोक में था। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 243-क्यू द्वारा, संक्रमणकालीन क्षेत्रों (ग्रामीण से संक्रमण वाले क्षेत्रों) के लिए एक नगर पंचायत।

डी.

ई.

च

13 अनुच्छेद 243 डब्ल्यू-नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ, आदि।

इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, -

(क) ऐसी शक्तियों और प्राधिकार वाली नगरपालिकाएँ जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी कानून में नगरपालिकाओं को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान हो सकते हैं, जो ऐसी शर्तों के अधीन हों जो उनमें निर्दिष्ट की जाएं -

जी.

((i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।

((ख) बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में उन कार्यों का निष्पादन और योजनाओं का कार्यान्वयन जो उन्हें सौंपे जा सकते हैं; (ख) ऐसी शक्तियों और प्राधिकार वाली समितियाँ जो उन्हें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में दिए गए दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

एच.

एक शहरी क्षेत्र के लिए क्षेत्र); एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद; और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम का गठन करना होगा।हालांकि, अनुच्छेद 243-क्यू के प्रावधान में घोषित औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में इस आवश्यकता को छूट दी गई हैः

"बशर्ते कि इस खंड के तहत एक नगर पालिका का गठन ऐसे शहरी क्षेत्र या उसके हिस्से में नहीं किया जा सकता है जो राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जा रही या प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो वह सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा एक औद्योगिक बस्ती के रूप में निर्दिष्ट करे।"

ग

15. यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामलों में, उपरोक्त प्रावधानों के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, जिसका अर्थ था कि औद्योगिक टाउनशिप के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र न तो स्थानीय क्षेत्र थे और न ही वे नगर पालिकाओं का हिस्सा थे। डायमंड शुगर मिल्स (ऊपर) पर व्यापक रूप से भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि "स्थानीय क्षेत्र" की परिभाषा को उस निर्णय में संविधान पीठ द्वारा निर्णायक रूप से एक "प्रशासित क्षेत्र" घोषित किया गया था।

डी.

नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, संघ बोर्ड, पंचायत या इसी तरह के स्थानीय निकाय द्वारा।कारखाने का परिसर है

इसलिए, एक 'स्थानीय क्षेत्र' नहीं है।यह आग्रह किया गया था कि चूंकि राज्य कानून, धारा 4 (1) [यानी, उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 1950] के परंतुक द्वारा इसके संचालन से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य को बाध्य करने वाले हीरा चीनी मिलों (उपरोक्त) में कानून की घोषणा, जो तब नहीं हो सकती थी, में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थानीय क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाए।

ई.

16. श्री बागरिया ने तर्क दिया कि उड़ीसा अधिनियम की धारा 2 (च) में स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा में औद्योगिक बस्ती के क्षेत्र को शामिल करके, राज्य विधानमंडल सूची 2 की प्रविष्टि 52 के साथ पठित अनुच्छेद 246 14 के तहत अपनी विधायी क्षमता से परे चला गया क्योंकि इसमें कोई प्रविष्टि नहीं है।

च

14 अनुच्छेद 246-संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय

(1) खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "संघ सूची" के रूप में संदर्भित) में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

जी.

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी, सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "समवर्ती सूची" के रूप में संदर्भित) में सूची III में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

एच.

681

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

सातवीं अनुसूची जिसके तहत विवादित कानून बनाया जा सकता था।वकील ने आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति 15 पर भी भरोसा जताया और तर्क दिया कि संवैधानिक कराधान शक्ति का दायरा संसदीय अधिनियम के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।अन्यथा, इसके परिणामस्वरूप संसद एक अधिनियम को अधिनियमित करेगी और/या संशोधन करेगी, जिससे संवैधानिक प्रावधान के दायरे और दायरे को नियंत्रित किया जा सकेगा जिसे बनाए नहीं रखा जाना चाहिए।

17. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि औद्योगिक क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर पूर्वव्यापी कर लगाना मनमाना था, यह देखते हुए कि मूल परिभाषा उन क्षेत्रों या स्थानीय सीमाओं में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाती थी।

ग

18. हिंडाल्को की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने ओ. सी. एल. और सेल की ओर से की गई दलीलों को अपनाया। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि 2007 का उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, जिस हद तक पूर्वव्यापी था, उसे निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अनुचित और मनमाना है।

((ii) उत्तरदाताओं की दलीलें

डी.

19. उड़ीसा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत किया था कि अधिसूचनाओं में न केवल कारखाने परिसर, बल्कि कारखाने परिसर, आवासीय कॉलोनियों, सड़कों, सीवेज, कई सामान्य सुविधाओं, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और अन्य संबद्ध सुविधाओं सहित अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है और इस प्रकार दावा किया गया है कि केवल ओ. सी. एल. के कारखाने परिसर को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ई.

20. विवादित अधिसूचना की सामग्री पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा रखा गया था कि औद्योगिक टाउनशिप सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली थी और संबंधित राजनगर नगर पालिका को यह स्थापित करने के लिए जल निकासी और सीवेज सुविधाओं सहित उपलब्ध कई सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है कि औद्योगिक टाउनशिप देश में किसी भी अन्य औद्योगिक टाउनशिप की तरह सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली थी।

च

21. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति थी कि ओ. सी. एल. 31 वीं तक चार किश्तों में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।

जी.

सातवीं अनुसूची में सूची II में सूचीबद्ध (इस संविधान में 'राज्य सूची' के रूप में संदर्भित)।

(4) संसद के पास भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो [किसी राज्य में] शामिल नहीं है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में गिना गया हो।

एच.

15 (2002) 9 एससीसी 232

682

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

मार्च 1999 में ओ. सी. एल. को एक औद्योगिक बस्ती घोषित किए जाने के कारण नगर पालिका को हुए राजस्व के नुकसान के मुआवजे के रूप में।यह नहीं कहा जा सकता है कि औद्योगिक टाउनशिप की घोषणा पर ओ. सी. एल. द्वारा ऑक्ट्राय का भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन उल्लिखित राशि केवल ऑक्ट्राय से राजस्व के कारण होने वाले नुकसान का मुआवजा थी।इसके अलावा, चुंगी का भुगतान केवल ओ. सी. एल. द्वारा देय नहीं था और अन्य औद्योगिक शहर अभी भी चुंगी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

22. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि डायमंड शुगर मिल्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होता है, क्योंकि अदालत ने उस मामले में "स्थानीय क्षेत्र" अभिव्यक्ति के अर्थ को उन क्षेत्रों तक सीमित कर दिया था जहां चुंगी लगाई जा रही थी और जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा प्रशासित किया जाता था।यह भी तर्क दिया गया कि डायमंड शुगर मिल्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने इस सवाल पर विचार नहीं किया कि क्या पूरे राज्य को "स्थानीय क्षेत्र" घोषित किया जा सकता है जो वर्तमान 1950 अधिनियम के तहत विचार किया गया है। इसके अलावा, एक औद्योगिक संपत्ति या क्षेत्र का केवल बहिष्कार इसे प्रवेश कर से मुक्त नहीं करता है, और इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यह एक स्थानीय क्षेत्र है।

ग

डी.

23. उत्तर प्रदेश राज्य के वकील ने यह भी कहा कि पूरा राज्य स्थानीय क्षेत्रों का समूह है और इस प्रकार 'स्थानीय क्षेत्र' और 'राज्य' के बीच का अंतर सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए गायब हो गया है।यह भी तर्क दिया गया कि प्रवेश कर राज्य द्वारा लगाया जाता है न कि 'स्थानीय प्राधिकरण' द्वारा और यह शुल्क केवल शहरी स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र तक सीमित था।

ई.

24. यह भी तर्क दिया गया कि लगाया गया शुल्क चरित्र में प्रतिपूरक है और इसे संविधान के अनुच्छेद 301-16 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।स्थानीय क्षेत्रों को राज्य के भीतर इन्सुलेटेड पॉकेट के रूप में नहीं माना जा सकता है और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ स्थानीय क्षेत्रों द्वारा उठाया जाता है और वे राज्य के भीतर व्यापार का आवश्यक हिस्सा हैं।स्थानीय क्षेत्र का हित राज्य का हित है और राज्य स्थानीय क्षेत्रों के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकता है।इसके अलावा, यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि शुल्क से एकत्र की गई प्रत्येक राशि को व्यापारिक सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिए और केवल प्रदान की गई व्यापारिक सुविधाओं और लगाए गए करों के बीच कुछ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है।

तथ्य यह है कि ओ. सी. एल. औद्योगिक बस्ती की सीमा के भीतर नगरपालिका सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए मुआवजा प्रदान नहीं कर सकता है।

च

जी.

16 अनुच्छेद 301-व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता

इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संभोग स्वतंत्र होंगे।

एच.

683

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

उन्हें प्रासंगिक माना जाए क्योंकि वे पहले से ही अन्य कराधान राहतों के रूप में अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

25. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू को डायमंड शुगर मिल्स (उपरोक्त) में फैसले के बहुत बाद जोड़ा गया था।उस प्रावधान के पीछे का विचार एक हालिया घटना है और संविधान के आगमन से पहले भारत का कोई पत्राचार इतिहास नहीं मिलता है।यह अवधारणा बड़े उद्योगों के उद्भव के कारण विकसित हुई थी जहां कर्मचारियों ने उन स्थानों पर भी कब्जा कर लिया था जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान की जाने वाली नगरपालिका सेवाओं के साथ आभासी टाउनशिप के समान हैं।

26. वकील ने यह तर्क देते हुए वर्तमान मामले को नोएडा (उपरोक्त) से अलग करने की मांग की कि हालांकि बाद में, अदालत ने कहा कि एक औद्योगिक बस्ती को अनुच्छेद 243-(पी) (ई) 17 के तहत परिभाषित नगरपालिका के साथ समान नहीं किया जा सकता है क्योंकि औद्योगिक बस्ती को नगरपालिका के गैर-गठन के कारण निर्दिष्ट किया गया है, फिर भी अदालत ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय नहीं लिया कि क्या यू. पी. आई. ए. डी. अधिनियम के प्रावधानों के साथ अनुच्छेद 243-क्यू के प्रावधान के तहत गठित एक औद्योगिक बस्ती एक प्रशासनिक इकाई है जो औद्योगिक बस्ती के क्षेत्र में नगरपालिका अधिनियमों द्वारा परिकल्पित सभी नगरपालिका सेवाओं को प्रदान करने के लिए बाध्य है और इसलिए इसका क्षेत्र एक स्थानीय क्षेत्र होगा।

ग

डी.

27. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले को डायमंड शुगर मिल्स (उपरोक्त) से अलग करने की भी मांग की ताकि यह तर्क दिया जा सके कि बाद वाले में एक ही कारखाना परिसर शामिल था जबकि पहले वाले में एक औद्योगिक बस्ती शामिल थी जिसे संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू (1) के प्रावधान के रूप में संवैधानिक रूप से अधिनियमित किया गया है।यहाँ, औद्योगिक बस्ती को एक सार्वजनिक अधिसूचना के तहत नगरपालिका सेवाओं को प्रदान करने का प्रभार दिया जाता है और इस प्रकार, औद्योगिक बस्ती नगरपालिका सेवाओं जैसी सेवाओं को प्रदान करने का प्रशासन कर रही है और यह तथ्य कि औद्योगिक बस्ती मुफ्त में सेवाएं प्रदान कर रही है, संवैधानिक स्थिति को नहीं बदलेगा।28. अंत में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रविष्टि 52 की व्याख्या संविधान के भाग IX-A और अनुच्छेद 243 के आलोक में की जानी चाहिए।नगरपालिका सेवाओं को प्रदान करना औद्योगिक क्षेत्र के विनिर्देशन के लिए एक पूर्व शर्त है, और ओ. सी. एल. के कुछ परिभाषित उद्देश्यों, जैसे जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, योजना, पुलिसिंग के लिए पूर्ववर्ती या आसपास की नगर पालिकाओं के साथ पर्याप्त सांठगांठ बनाए रखने की संभावना है।

ई.

च

जी.

17 अनुच्छेद 243 पी-परिभाषाएँ. (ई) 'नगर पालिका' का अर्थ है अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था;

एच.

उद्देश्य आदि। यह भी तर्क दिया गया कि औद्योगिक क्षेत्र को राज्यों के क्षेत्रों से बाहर नहीं रखा गया है और यह राज्य के अधिकार और विधायी शक्तियों के अधीन है।इसलिए प्रवेश कर लगाने और संग्रह के लिए उन्हें "स्थानीय क्षेत्र" के रूप में शामिल करना भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।

B. विश्लेषण और निष्कर्ष

29. वर्णित तथ्यों और पक्षों के तर्कों से यह स्पष्ट है कि इन अपीलों में निर्धारण की आवश्यकता वाला संकीर्ण मुद्दा यह है कि क्या वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए या अनुच्छेद 243-क्यू के प्रावधान के तहत एक घोषणा के आधार पर राज्य कानूनों के तहत नगरपालिका परिषदों या नगर पालिकाओं की सीमाओं से एक औद्योगिक क्षेत्र या क्षेत्रों को बाहर करने का परिणाम यह होगा कि वह क्षेत्र सूची II की प्रविष्टि 52 के भीतर एक "स्थानीय क्षेत्र" नहीं रहेगा और इसके परिणामस्वरूप राज्य को उन क्षेत्रों से प्रवेश कर लगाने और एकत्र करने से रोक देगा।

ग

30. डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में संविधान पीठ का निर्णय, जिस पर अपीलकर्ताओं द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया था, राज्य अधिनियम-यू. पी. गन्ना (राज्य के विनियम और खरीद) अधिनियम, 1953 द्वारा धारा 20 में और यू. पी. गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 द्वारा धारा 3 में राज्य को "कारखाने के परिसर में" प्रवेश कर एकत्र करने के लिए स्पष्ट प्राधिकरण के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था।उस फैसले में चुनौती इस आधार पर थी कि शुल्क अमान्य था क्योंकि यह राज्य की विधायी क्षमता से परे था-तर्क यह था कि कारखाने के परिसर को "स्थानीय क्षेत्र" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था।इस न्यायालय ने प्रविष्टि 52 का विश्लेषण किया, पहले उस ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करके जिसमें इसे अधिनियमित किया गया था (जिसके लिए उसने पिछले विधान यानी भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 का पता लगाया)।अदालत ने पहले कहा था कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से "स्थानीय" किसी स्थान से "संबंधित" या "संबंधित" है।

डी.

ई.

च

31. इन्हें ध्यान में रखते हुए, और राजनीतिक इकाइयों द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष या उपभोग कर के रूप में चुंगी के संग्रह के उद्देश्य से "स्थानीय क्षेत्र" से संबंधित एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रविष्टि पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत स्थानीय निकाय द्वारा प्रशासित क्षेत्र में वस्तुओं के आयात पर एक शुल्क लगाया गया है, यानी एक स्थानीय सरकारी प्राधिकरण लगाया जा सकता है।यह न्यायालय तब

जी.

डायमंड शुगर मिल्स (ऊपर) में निष्कर्ष निकाला गया है कि:22. “यह कानून के पिछले इतिहास की जानकारी के साथ था कि संविधान निर्माताओं ने अपने कार्य के बारे में निर्धारित किया ए

एच.

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

सातवीं अनुसूची में सूचियाँ तैयार करना।इसलिए इस बात पर संदेह हो सकता है कि "स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर" शब्दों का उपयोग करते हुए, वे "स्थानीय क्षेत्र" शब्दों से व्यक्त करना चाहते थे, मुख्य रूप से वह क्षेत्र जिसके संबंध में अनुसूचित कर नियम, 1920 की धारा 7 के तहत एक चुंबक लगाया गया था-यानी, स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या संघ बोर्ड, "पंचायत" या राज्य के किसी भी हिस्से के स्थानीय मामलों के शासन के लिए कानून के तहत गठित किसी व्यक्ति द्वारा प्रशासित क्षेत्र।क्या राज्य सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्र के रूप में राज्य के पूरे क्षेत्र को भी "स्थानीय क्षेत्र" वाक्यांश में शामिल करने का इरादा था, हमें वर्तमान मामले में विचार करने की आवश्यकता नहीं है।"

ग

32. अगला उल्लेखनीय निर्णय शक्तिकुमार एम. संचेती और

एन. आर. V. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। 18, जहाँ चुनौती थी

स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर महाराष्ट्र कर अधिनियम, 1987 के तहत शुल्क।यह तर्क दिया गया कि कर की घटना मोटर वाहनों के खरीद मूल्य पर थी और इसलिए कर वास्तव में एक खरीद कर था और आगे यह कि एक स्थानीय क्षेत्र का अपना एक अर्थ है जिसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समझा या प्रशासित किया जाता है और पूरे राज्य में वाहन के प्रवेश पर कर अमान्य था।यह अदालत, नोटिस करने के बाद

डी.

ई.

डायमंड शुगर मिल्स (ऊपर) में पिछले निर्णय में कहा गया था कि प्रश्न

इस बारे में कि क्या किसी राज्य का पूरा क्षेत्र एक स्थानीय क्षेत्र था, उस निर्णय में अनिश्चित छोड़ दिया गया था।अदालत ने तब देखा कि "स्थानीय क्षेत्र" का उपयोग संविधान के कई प्रावधानों, जैसे अनुच्छेद 3 (बी), 12,245 (1), 246,277,321,323-ए और 371-डी में किया गया था। अदालत ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को बरकरार रखा कि कर योग्य घटना स्थानीय क्षेत्र में राज्य के किसी भी क्षेत्र में वाहन का प्रवेश नहीं है।अदालत ने पिछले का भी हवाला दिया

च

कर्नाटक राज्य बनाम हंसा निगम।19 33.सैज ग्राम पंचायत बनाम गुजरात राज्य और अन्य में। 20, द

पंचायत ने कुछ अधिसूचनाओं और राज्य सरकार के एक प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की, जिसके तहत गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 की धारा 16 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कलोल औद्योगिक क्षेत्र को गुजरात की धारा 264 ए के तहत नगरपालिका क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था।

जी.

18 (1995) 1 एससीसी 351 19 (1981) 1 एससीआर 823 20 (1999) 2 एससीसी 366

एच.

नगरपालिका अधिनियम, 1963।एक अन्य अधिसूचना ने गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 9 (2) के तहत उस क्षेत्र को सैज ग्राम पंचायत से बाहर कर दिया।आग्रह किया गया था कि अधिसूचना और प्रस्ताव भारत के संविधान के भाग IX और IX-A के विपरीत थे।इस न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 संविधान के भाग IX और IX-A के साथ-साथ गुजरात नगरपालिका अधिनियम, 1962 के तहत गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 से अलग क्षेत्र में काम करता है।बाद के अधिनियम स्थानीय स्वशासन से संबंधित थे जबकि गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 राज्य में उद्योगों की व्यवस्थित स्थापना और संगठन के लिए काम करता है।यह भी देखा गया कि औद्योगिक क्षेत्रों को बहुत पहले 1972 में अधिसूचित किया गया था।

ग

34. इस न्यायालय ने अनुच्छेद 243-क्यू के उल्लंघन के संबंध में तर्क को खारिज कर दिया। यह देखा गया कि अनुच्छेद 243-क्यू तीन प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन करता है अर्थात नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक नगर निगम।इसने नोट किया कि परंतुक के आधार पर, और क्षेत्र के आकार को ध्यान में रखते हुए, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं की प्रकृति, और अन्य प्रासंगिक कारक-राज्यपाल पूर्व अधिसूचनाओं द्वारा उस क्षेत्र को एक औद्योगिक बस्ती के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

डी.

35. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत किसी क्षेत्र को अनुच्छेद 243-क्यू के तहत औद्योगिक बस्ती के बराबर माना जाता है, तो उस प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं होगा।इसके बाद न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

ई.

20. “धारा 16 के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि औद्योगिक संपदाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं के प्रावधान के मामले में गुजरात औद्योगिक विकास निगम को प्रदत्त शक्ति को ध्यान में रखते हुए, उनमें उद्योग स्थापित करने वालों पर कुछ शुल्क लगाने पर, एक औद्योगिक क्षेत्र आम तौर पर अपने आप में एक आत्मनिर्भर नगर होगा जो अपनी सुविधाएं प्रदान करता है और उसके लिए शुल्क वसूल करता है।ऐसे क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्र के संबंध में अपने वैधानिक या विवेकाधीन कर्तव्यों का बहुत कम पालन करना होगा।फिर भी यह क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने वालों से कर लगा सकता है और एकत्र कर सकता है।यह इस आभासी दोहरे नियंत्रण और प्रशासन से बचने के लिए है जो उद्योगों के विकास और विकास में बाधा डाल सकता है

च

जी.

एच.

687

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

संभवतः, धारा 16 में एक औद्योगिक क्षेत्र को एक अधिसूचित क्षेत्र में गठित करने और इस तरह इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है।जैसा कि हमने पहले कहा है, इस तरह की एक अलग प्रशासनिक इकाई का निर्माण संविधान के भाग IX और IXA की योजना के विपरीत नहीं है, जब अनुच्छेद 243Q एक औद्योगिक बस्ती के रूप में ऐसी एक अलग प्रशासनिक इकाई के निर्माण का प्रावधान करता है।उत्तरदाताओं द्वारा यह भी बताया गया है कि न तो अनुच्छेद 243 एन और न ही 243 जेडएफ किसी भी औद्योगिक विकास अधिनियम को अमान्य करता है।

36. दो निर्णयों में अर्थात, एमजीआर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और ए. एन. आर. V. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 21 और नोएडा (ऊपर), इस न्यायालय ने

ग

अनुच्छेद 243-क्यू की प्रयोज्यता के प्रश्न पर विचार करने का अवसर। एम. जी. आर. इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में, विशेष रूप से यू. पी. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्रावधानों, विशेष रूप से, धारा 12 ए पर भी विचार किया गया था।एम. जी. आर. इंडस्ट्रीज (ऊपर) में तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता औद्योगिक क्षेत्रों का एक संघ था जिसे यू. पी. अधिनियम के तहत औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन जिसके संबंध में अनुच्छेद 243-क्यू के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, पंचायतों द्वारा करों के उद्ग्रहण पर सवाल उठाया गया था।अदालत ने यू. पी. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 ए पर ध्यान दिया, जो इस प्रकार हैः

डी.

“12-ए. औद्योगिक बस्ती के लिए कोई पंचायत-किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां एक औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू के खंड (1) के परंतुक के तहत एक औद्योगिक बस्ती के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका हिस्सा, यदि पंचायत क्षेत्र में शामिल है, तो उक्त परंतुक के तहत की गई अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत प्रशासन, 1961 के तहत ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए किसी भी पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, और ऐसी औद्योगिक विकास के लिए गठित कोई भी पंचायत।"

ई.

च

जी.

एच.

21 (2017) 3 एससीसी 494

688

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

37. अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 243-क्यू के साथ धारा 12 ए के संयुक्त अध्ययन ने स्पष्ट किया कि जब तक अनुच्छेद 243-क्यू (1) के प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक औद्योगिक विकास क्षेत्रों को पंचायतों के दायरे से बाहर नहीं रखा जाता।अदालत ने महत्वपूर्ण रूप से नोट किया कि

“औद्योगिक विकास क्षेत्र को पंचायतों से बाहर रखने के गंभीर परिणाम होते हैं क्योंकि औद्योगिक विकास के दायरे में रहने वाला व्यक्ति अपनी-अपनी पंचायतों से उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं और लाभों से तुरंत वंचित हो जाता है।उक्त लाभों से वंचित करना अनुच्छेद 243 क्यू में निहित शर्तों के अनुसार एक सचेत निर्णय होना चाहिए।

38. नोएडा (उपरोक्त) में, मुद्दा इस संबंध में था कि क्या अपीलकर्ता प्राधिकरण, जिसे यू. पी. आई. ए. डी. अधिनियम के तहत भी गठित किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के तहत "स्थानीय प्राधिकरण" के रूप में छूट के लाभ का दावा कर सकता है।अपीलार्थी ने अनुच्छेद 243-क्यू (1) के प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा जारी एक अधिसूचना (दिनांक 24.12.2011) पर भरोसा किया था।तर्क दिया गया कि चूंकि औद्योगिक क्षेत्र यानी नोएडा को संविधान के भाग IX के प्रावधानों की आवश्यकता से बाहर रखा गया था, इसलिए यह एक नगरपालिका क्षेत्र नहीं रह गया और इसलिए यह स्वयं एक स्थानीय प्राधिकरण था।इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा-संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम,

1992 के उद्देश्य और कारणों के विवरण और मंत्री द्वारा संसद में संशोधन विधेयक का संचालन करते हुए पेश किए गए ज्ञापन पर ध्यान देने के बाद, किः

ग

डी.

ई.

"28. भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि संविधान ने स्वयं नगर पालिकाओं के गठन, नगर पालिकाओं की अवधि, प्राधिकरणों की शक्तियों और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों के लिए प्रावधान किया है।नगर पालिकाओं को स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में बनाया गया है।नगरपालिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नियमित चुनाव पर विचार करते हुए नगरपालिका की अवधि पांच साल के लिए प्रदान की गई थी। भाग IXA में निहित संवैधानिक प्रावधानों द्वारा परिकल्पित नगर पालिका की विशेष विशेषताओं को प्राधिकरण में मौजूद नहीं कहा जा सकता है जैसा कि अधिनियम, 1976 की वैधानिक योजना द्वारा निरूपित किया गया है।यह सच है कि प्राधिकरण द्वारा अधिनियम, 1976 के अनुसार विभिन्न नगरपालिका कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन केवल तथ्य यह है कि कुछ नगरपालिका कार्य भी प्राधिकरण द्वारा किए गए थे, यह आवश्यक ए प्राप्त नहीं कर सकता है।

च

जी.

एच.

689

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

नगरपालिका की विशेषताएं जिन पर संविधान के भाग IXA द्वारा विचार किया गया है।अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के तर्क का मुख्य जोर कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 243 क्यू (1) के प्रावधान के तहत जारी अधिसूचना को स्वीकार नहीं किया है, रिट याचिका को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे टिकाऊ नहीं हैं।इस प्रकार हमें अनुच्छेद 243 क्यू (1) के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा।उसमें निर्दिष्ट औद्योगिक बस्ती के उद्देश्य और उद्देश्य के लिए क्या उसमें उल्लिखित औद्योगिक बस्ती को अनुच्छेद 243 पी के तहत परिभाषित नगरपालिका के बराबर माना जा सकता है।अनुच्छेद 243 पी (ई) में प्रावधान है कि "नगरपालिका का अर्थ है अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था। क्या अपीलार्थी अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था है, इस मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए? अनुच्छेद 243 क्यू के उपखंड (1) में प्रावधान है कि इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक नगर निगम का गठन किया जाएगा।उपखंड (1) के परंतुक में प्रावधान है किः

ग

डी.

"बशर्ते कि इस खंड के तहत नगरपालिका का गठन ऐसे शहरी क्षेत्र या उसके हिस्से में नहीं किया जा सकता है जो राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए प्रदान की जा रही या प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो वह सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा एक औद्योगिक बस्ती के रूप में निर्दिष्ट करे।".

ई.

29. इस प्रकार, परंतुक एक नगरपालिका के रूप में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के गठन पर विचार नहीं करता है, बल्कि एक अपवाद को स्पष्ट करता है जहां अनुच्छेद 243Q के खंड (1) के तहत नगरपालिका का गठन शहरी क्षेत्र में नहीं किया जा

सकता है।यह परंतुक नगरपालिका के संविधान के लिए एक अपवाद है जैसा कि अनुच्छेद 243 क्यू के उपखंड (1) द्वारा विचार किया गया है। परंतुक की कोई अन्य व्याख्या संविधान योजना के अनुरूप नहीं है।"

च

जी.

39. यह तुरंत स्पष्ट है कि सभी निर्णयों में, जो

अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया, (डायमंड शुगर मिल्स (उपरोक्त को छोड़कर) और

शक्तिकुमार एम. संचेती (ऊपर)) जो सवाल विचार के लिए उठा था, वह यह था कि क्या किसी औद्योगिक क्षेत्र के अपवर्जन के बाद, या तो

एच.

कुछ राज्य कानून के प्रावधानों के तहत, या अनुच्छेद 243-क्यू के संदर्भ में, ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नगरपालिका या पंचायत का हिस्सा था।सैज ग्राम पंचायत (ऊपर) में, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक अधिसूचना के आधार पर पंचायत से एक क्षेत्र, जिसे पहले एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, को बाहर करना गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू के विपरीत था।इसी तरह, एम. जी. आर. इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में, अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-क्यू के प्रावधान के तहत अधिसूचना के बिना, केवल एक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र या बस्ती के रूप में घोषित करने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र को पंचायत के दायरे से बाहर नहीं किया जाता है।नोएडा (ऊपर) में, निर्णय के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या नोएडा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के तहत आयकर छूट का दावा करने के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नगरपालिका की सीमाओं से किसी क्षेत्र के अपवर्जन के परिणामस्वरूप उस अधिनियम के तहत कर छूट का दर्जा प्राप्त करने की इसकी पात्रता नहीं है।अनुच्छेद 243-क्यू के प्रभाव के बारे में इस न्यायालय की टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं।

ग

40. डायमंड शुगर मिल्स (ऊपर) में व्यक्त विचार था,

डी.

कि एक स्थानीय क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है, जो एक स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आता है जैसे कि

नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या संघ बोर्ड, पंचायत या राज्य के किसी भी हिस्से के स्थानीय मामलों के शासन के लिए कानून के तहत गठित कोई व्यक्ति।" कि

अभिव्यक्ति प्रासंगिक थी क्योंकि उस निर्णय में शामिल कर की वसूली ने कारखाने के परिसर में माल के प्रवेश पर शुल्क लगाया था।उस संदर्भ में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्थानीय क्षेत्र के संबंध में प्रवेश कर लगाया जा सकता है, और घटना प्रवेश का बिंदु है।

ई.

41. वर्तमान मामले में, दो या दो से अधिक कानून दोनों राज्यों के भीतर काम करते हैं।क़ानूनों का पहला समूह अधिनियम हैं, जो शुल्क लगाते हैं, जो प्रवेश कर है।घटना एक स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश है।एक "स्थानीय क्षेत्र" को औद्योगिक प्रतिष्ठानों या

संपदाओं को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है।कानूनों का दूसरा समूह जो शामिल हैं, वे संबंधित नगरपालिका कानून हैं, जैसे कि उड़ीसा अधिनियम 1950-जो धारा 4 (1) के परंतुक द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को नगरपालिकाओं के अधिनियमों की कठोरता और आवश्यकताओं से बाहर करता है।उत्तर प्रदेश प्रवेश कर कानून में, औद्योगिक प्रतिष्ठान क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए "स्थानीय क्षेत्र" को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है।उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 द्वारा एक नगरपालिका और एक नगरपालिका क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

च

जी.

‘(9) “नगरपालिका "से संविधान के अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट स्वशासन की संस्था अभिप्रेत है।

एच.

691

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

(9(क) "नगरपालिका क्षेत्र" से नगरपालिका का क्षेत्रीय क्षेत्र अभिप्रेत है।"

42. किशनसिंह तोमर बनाम नगरपालिका मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

अहमदाबाद शहर निगम और अन्य 22 ने वस्तु को देखा

और संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम, 1992 का उद्देश्य।अदालत ने कहाः

“12. यह ध्यान दिया जा सकता है कि भाग IX-A को संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के आधार पर संविधान में जोड़ा गया था।इन प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य यह था कि कई राज्यों में स्थानीय निकाय ठीक से काम नहीं कर रहे थे और समय पर चुनाव नहीं हो रहे थे और नामित निकाय लंबे समय तक जारी रहे।चुनाव अनियमित रहे थे और कई बार अनावश्यक रूप से विलंबित या स्थगित किए गए थे और निर्वाचित निकायों को राज्य अधिकारियों की सनक और इच्छाओं पर पर्याप्त औचित्य के बिना हटा दिया गया था या निलंबित कर दिया गया था।ये विचार तत्कालीन शहरी विकास राज्य मंत्री द्वारा संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश करते समय व्यक्त किए गए थे और इस प्रकार स्थानीय निकायों के लिए राजनीतिक शासन में सही स्थान बहाल करने के उद्देश्य से संविधान में नए प्रावधान जोड़े गए थे।ऐसे निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और चुनावों का नियमित और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करना आवश्यक माना गया।शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया थाः[...]”

ग

डी.

ई.

43. संविधान के भाग IX-A के प्रावधानों में नगर पालिकाओं के गठन, उनकी अवधि, नगरपालिकाओं के अधिकारियों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है।नगर पालिकाओं की कल्पना स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में की गई थी।उनका कार्यकाल या अवधि पाँच साल के लिए प्रदान की गई थी; नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नियमित चुनाव पर विचार किया गया था।हालाँकि, भाग IX-A में निहित प्रावधानों द्वारा परिकल्पित नगर पालिकाओं की विशेष विशेषताएँ कानून द्वारा बनाए गए अन्य निकायों जैसे बोर्डों आदि में मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक संपदाओं जैसे ऐसे वैधानिक निकाय कुछ नगरपालिका कार्य कर सकते हैं।हालाँकि, कि कुछ नगरपालिका कार्य ऐसे निकायों द्वारा किए जाते हैं, वास्तव में उनके अधिग्रहण का परिणाम नहीं है

च

जी.

एच.

22 2006 (8) एस. सी. सी. 352

692

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

नगरपालिकाओं की विशेषताएँ जिन पर संविधान के भाग IX-A द्वारा विचार किया गया है।

44. अपीलार्थियों के गीत का भार, कहने के लिए, यह है कि जब कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो औद्योगिक क्षेत्रों या नगरपालिका क्षेत्रों से संपदाओं को छोड़कर, वे स्थानीय क्षेत्र नहीं रह जाते हैं, और उन्हें प्रवेश कर लगाने के उद्देश्य से ऐसा नहीं माना जा सकता है।जैसा कि पहले देखा गया है, संविधान के भाग IX-A के प्रावधानों से संबंधित सभी निर्णयों को लागू करने या प्रवेश कर लगाने के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया था, या क्या अनुच्छेद 243-प्रश्न (1) के प्रावधान के तहत अधिसूचनाओं के आधार पर ऐसे क्षेत्रों को बाहर रखा गया था जो स्थानीय क्षेत्र नहीं थे।इस न्यायालय के लिए, यह स्पष्ट है कि संविधान के 74 वें संशोधन द्वारा भाग IX-A की शुरूआत स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के इरादे से की गई थी कि वे न्यूनतम लोकतांत्रिक मानकों के अधीन हों।इसलिए, अनुच्छेद 243-क्यू (1) के परंतुक को इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए कि कुछ कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में प्रशासित औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं, जहां कुछ नगरपालिका सेवाएं प्रदान की गई थीं, को संविधान के भाग IX-A में उल्लिखित आवश्यकताओं से छूट दी जा सकती है।ये प्रावधान लोकतांत्रिक शासन के तत्वों को स्पष्ट करते हैं, जैसे कि समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, चुनावों की नियमितता, स्थानीय सरकार की तीन-स्तरीय संरचना, आरक्षण, चुनाव विवादों को तय करने के लिए तंत्र और निर्वाचित निकाय जिन्हें विभिन्न प्रमुखों या विषयों के संबंध में निर्णय लेने का काम सौंपा गया था, जो गाँव, तालुक और जिला स्तर पर लोगों से संबंधित थे।

ग

डी.

ई.

45. 74 वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए संविधान के भाग IX-A के प्रावधानों का ध्यान स्थानीय स्वशासन और इससे संबंधित सभी प्रावधानों पर था।राज्य कराधान के मुद्दे पर इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी।इसके अलावा, राज्यपाल द्वारा नगरपालिका क्षेत्र, औद्योगिक संपदा या बड़े क्षेत्रों, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र थे, की सीमाओं से बाहर करने की शक्ति का प्रयोग इस शर्त पर किया जाता है कि ऐसे क्षेत्र न्यूनतम नगरपालिका सेवाएं प्रदान करते हैं।राज्य अधिनियमों का स्वरूप-जो इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को पढ़ने से सामने आता है, वह यह है कि प्रत्येक राज्य में नगरपालिका या स्थानीय स्वशासन कानूनों का एक समूह होता है, जैसे कि नगरपालिकाओं, छावनी, पंचायतों, ग्राम पंचायतों आदि से संबंधित और औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित-उदाहरण के लिए, यूपीआईएडी अधिनियम, गुजरात औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 आदि।बाद के अधिनियमों में प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सेवाओं (नगर पालिकाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली नगरपालिका सेवाओं के अनुरूप) का निर्धारण किया गया है।इन ए को देखते हुए

च

जी.

एच.

693

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

परिस्थितियों में, औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में नगरपालिका कानूनों या ऐसे अधिनियमों के अनुप्रयोग से छूट-साथ ही अनुच्छेद 243-प्रश्न (1) के परंतुक के आधार पर भाग-IX A के अनुप्रयोग से छूट कुछ आवश्यकताओं के अनुप्रयोग को बाहर करने के लिए है, जैसे कि चुनाव आदि। जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति का संबंध है, वे राज्य या राज्यपाल द्वारा नगरपालिका कानूनों या अनुच्छेद 243Q (1) के प्रावधान के तहत छूट जारी करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं।हालाँकि, ये किसी भी तरह से इस तथ्य को प्रभावित या कमजोर नहीं करते हैं कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र या संपदाएँ समान रूप से "स्थानीय" हैं।

क्षेत्रों "।डायमंड शुगर मिल्स (ऊपर) ने स्वयं स्वीकार किया कि

"स्थानीय" शब्द का अर्थ है "किसी स्थान से संबंधित"।इस न्यायालय ने यह भी बहुत प्रासंगिक रूप से अभिनिर्धारित किया कि स्थानीय क्षेत्र वह है जो नगरपालिका कानून, जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड, संघ बोर्ड, पंचायत या राज्य के किसी भी हिस्से के स्थानीय मामलों के शासन के लिए सरकार द्वारा गठित किसी निकाय द्वारा प्रशासित होता है।इसलिए, औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में राज्य के कानूनों का अनुप्रयोग पूरी तरह से "राज्य के स्थानीय मामलों के उद्देश्यों के लिए गठित निकाय का विवरण" अभिव्यक्ति के भीतर आता है क्योंकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता है कि औद्योगिक क्षेत्र भी राज्य का हिस्सा हैं। वर्तमान मामले में रिकॉर्ड इंगित करता है कि ओ. सी. एल. के मामले में नगरपालिका से बाहर रखे गए क्षेत्रों में कई गाँव शामिल हैं।सेल द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री यह भी स्वीकार करती है कि उसके औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 24,000 घर मौजूद हैं।इसी तरह हिंडाल्को और सेल के मामले में भी संकेत मिलता है कि औद्योगिक संपदा या क्षेत्र बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है।यदि कोई इन तथ्यों को ध्यान में रखता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसे क्षेत्र "स्थानीय क्षेत्रों" के विवरण में आते हैं।

ग

डी.

ई.

46. द्वारा डायमंड शुगर मिल्स (ऊपर) पर रिलायंस रखा गया

इस मामले में अपीलार्थी गलत हैं क्योंकि उस निर्णय में न्यायालय को तथ्यों के एक अलग समूह से निपटना पड़ा था।यू. पी. राज्य द्वारा लगाए गए गन्ने पर शुल्क कारखाने परिसर में प्रवेश की घटनाओं पर लगाया गया था।इसलिए न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि कारखाना परिसर स्वयं एक स्थानीय क्षेत्र का गठन नहीं कर सकता है।शक्ति कुमार संचेती (उपरोक्त) में बाद के निर्णय में समझाया गया कि राज्य के भीतर अंतिम गंतव्य के साथ राज्य में प्रवेश, एक कर योग्य घटना थी जब माल, यानी वाहन अपने अंतिम गंतव्य की नगरपालिका की सीमा के भीतर पहुंच जाते थे।सहज ग्राम पंचायत (ऊपर) में, इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि अनुच्छेद 243-(क्यू) (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों को बाहर नहीं किया जा सकता है।एम. जी. आर. इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि न्यायालय ने माना कि एक स्थानीय अधिनियम के तहत एक औद्योगिक क्षेत्र का केवल बहिष्कार है।

च

जी.

एच.

अनुच्छेद 243-क्यू (1) के तहत अधिसूचना के अभाव में इसे पंचायत के अधिकार क्षेत्र से हटाने के लिए अपर्याप्त था।नोएडा (ऊपर) के फैसले में संविधान के भाग IX-A के प्रावधान के इरादे और उद्देश्य की व्याख्या की गई है।इनमें से कोई भी, न्यायालय की राय में, अपीलार्थियों के लिए कोई सहायता नहीं हो सकती है, जो तर्क देते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों या औद्योगिक संपदाओं को स्थानीय क्षेत्रों के रूप में माना जा सकता है जब भी उन्हें नगरपालिका की सीमाओं से बाहर रखा जाता है या जब भी उन्हें संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू (1) के प्रावधान के तहत शक्ति के प्रयोग के आधार पर बाहर रखा जाता है।

47. यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम भी है कि एक कर कानून के शब्दों को उनके सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए।इसके अलावा, विधायी शक्ति प्रदान करने वाले संवैधानिक अधिनियम में शब्दों का अर्थ लगाने में, शब्दों पर एक उदार संरचना रखी जानी चाहिए ताकि वे अपने व्यापक आयाम में प्रभाव डाल सकें।23

ग

48. लेवी का उद्देश्य, अर्थात, प्रवेश कर, उपभोग के लिए एक नियमित क्षेत्र में माल के प्रवेश का विनियमन है, अर्थात, निर्माण, उपयोग या बिक्री।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र या संपत्ति में माल का प्रवेश उनके निर्माण या प्रसंस्करण के लिए या उनके अंतिम गंतव्य के रूप में उनके वितरण के उद्देश्यों के लिए होता है, यानी उस क्षेत्र के भीतर उनकी "खपत, उपयोग या बिक्री" के उद्देश्य से।यह भी हो सकता है कि माल औद्योगिक क्षेत्र या संपत्ति के भीतर प्रवेश करता है, उनके उपयोग के लिए अंतिम गंतव्य के रूप में।किसी भी मामले में, शुल्क आकर्षित किया जाएगा क्योंकि घटना स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश है।

डी.

ई.

49. अदालत की राय है कि वकील द्वारा दिया गया तर्क-कि इस मामले के तथ्यों में शुल्क पूर्वव्यापी नहीं हो सकता है, असंगत है।माँग द्वारा निर्धारिती पर कर लगाने के पहले के प्रयासों के कारण याचिकाएँ दायर की गईं जिन्होंने उन्हें रद्द कर दिया-जहाँ कानूनी व्यवस्था यह थी कि कुछ प्रतिपूरक तत्व का खुलासा किया जाना था।इस दोष को ठीक करने के उद्देश्य से, यू. पी. राज्य द्वारा नया कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित किया गया था, जो इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर,

च

श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स बनाम बड़ौदा बरो नगर पालिका और अन्य। 24,

वैध है।50. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को उड़ीसा और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

जी.

23 नवीनचंद्र मफतलाल बनाम आयकर आयुक्त, 1955 (1) एससीआर 829

एच.

24 1970 (1) एससीआर 388 ए

695

मेसर्स ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड बनामओरिसा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

विशेष अनुमति याचिका और अपीलों को परिणामस्वरूप लागत पर किसी भी आदेश के बिना अप्रमाणित के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर

एसएलपी और अपील खारिज कर दी गई।

(सहायकः बोधि रामटेके, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.